न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर राज0

बईजलास पीठासीन अधिकारी बनवारी लाल सिनसिनवार (आर0ए0एस)

उपखण्ड अधिकारी चाकसू।

वाद पत्र संख्या 119/2012 निर्णय दिनांक 13.2.18

1. प्रभुनारायण पुत्र काना
2. घनश्याम पुत्र काना
3. गणेश पुत्र काना
4. राधामोहन पुत्र काना
5. बद्री पुत्र रामनारायण
6. गोपाल पुत्र रामनारायण
7. बृजमोहन पुत्र रामनारायण
8. शंकर पुत्र रामनारायण

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम आनन्दरामपुरा, पटवार हल्का हिंगोनिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)

——वादी——

बनाम

1. सीताराम पुत्र काना
2. प्रभुनारायण पुत्र काना
3. दुर्गालाल पुत्र काना
4. गोरधनलाल पुत्र काना

जाति बागडा ब्रह्मण निवासी ग्रम आनन्दरामपुरा, पटवार हल्का हिंगोनिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

5. मंगली बेवा रामनिवास
6. शिवलाल पुत्र रामनिवास
7. मदनलाल पुत्र रामनिवास

   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्रम आनन्दपुरा पटवार हल्का हिंगोनिया तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)
8. ओमप्रकाश पुत्र बद्रीनारायण
9. श्रीमती बाबूडी देवी पत्नी छीतर
10. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी देवनारायण
11. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी दामोदर प्रसाद
12. श्रीमती रामजानकी देवी पत्नी नेताराम
13. भगवान सहाय पुत्र बद्रीनारायण
14. श्यामलाल पुत्र बद्रीनारायण
15. मदनलाल पुत्र बद्रीनारायण
16. रमेश पुत्र हरिनारायण
17. घनश्याम पुत्र हरिनारायण
18. बनवारी पुत्र हरिनारायण
19. रामकिशोर पुत्र रामेश्वर
20. कैलाश नारायण पुत्र रामेश्वर
21. रमाकान्त पुत्र रामेश्वर
22. नाथी पुत्र रामेश्वर
23. चन्दा देवी पत्नी रामेश्वर

   समस्त जाति ब्रह्मण निवासीगण ग्राम आनन्दपुरा पटवार हल्का हिंगोनिया, तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

25. उप पंजीयक चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान)।

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादिनी की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि :–

1. वादीगण वादपत्र मे वर्णित पते पर मय परिवार निवास करते है। वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात वाके ग्राम आनन्दरामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जिसके पुराने खाता संख्या 23 जिसमें खसरा नम्बर 38 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 381 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 386 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा जो कि काना, रामनारायण जयनारायण पिता बद्रीनारायण उर्फ लक्ष्मीनारायण के राजस्व रिकार्ड में संवत 2021 से 2028 उसके आगे तक दर्ज थी। कानाराम, जयनारायण रामनारायण का स्वर्गवास होने के पश्चात उने पुत्र उनके उत्तराधिकारी हुए जो कि वादीगण है। उक्त आराजीयात में से उत्तराधिकारी होने के कारण संपूर्ण आराजीयात पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी थी। लेकिन खसरा नम्बर 38 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 मि0 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 585 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कुल किता [illegible] कुल रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा पुत्रों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। जिसके नये खसरा नम्बरान खसरा नम्बर 38 के खसरा नम्बर 24 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 174 रकबा 0.17 है, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.09 है0 खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

180 रकबा 0.27 है0 बने जो कि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है पुराने खसरा नम्बर 66 के नये नम्बर 23 बने जो वर्तमान में खसरा नम्बर 170 रकबा 0.32 है0 खसरा नम्बर 171 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.13 है0 है जो कि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 23 के नाम दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 165 मि0 के नये खसरा नम्बर 59 बने जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 239 रकबा 0.59 हे0, जो कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 585 जिसके नये नम्बर 207 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 978 रकबा 0.52 है0 खसरा नम्बर 979 रकबा 0.45 है0 खसरा नम्बर 980 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 981 रकबा 0.45 है0 ,खसरा नम्बर 982 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 983 रकबा 0.34 है0 खसरा नम्बर 984 रकबा 0.37 है0 जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने मिलीभगत करके उक्त खसरा नम्बरान में से 4 बीघा 17 बिस्वा जमीन मिली भगत करके अपने नाम दर्ज कराली है। जिसको कि वादीगण राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।

2. वादी ने तथा उनके पूर्वजों ने उपरोक्त आराजीयात का आज तक किसी भी रुप में बेचान स्थानांतरण नहीं किया है ना ही किसी को कब्जा समझाया है बल्कि वादी गण अपने–अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे हैं तथा उसका उपयोग उपभोग भी करते आ रहे हैं इनमें किसी अन्य व्यक्ति को कोई बाधा कारित करने का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

3. प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 23 वादीगण की उपरोक्त आराजीयात के पास ही रहते है जो कि आये दिन वादीगण को उनकी आराजीयात से बेदखल करने की धमकी देते रहते है और कहते है कि उन्होंने उक्त आराजीयात को खरीद कर लिया है। जबकि वादीगण या उनके पूर्वजों ने बुजुर्गो ने उपरोक्त आराजीयात को किसी भी रूप में बेचान हस्तानान्तरण नही किया है। बल्कि प्रतिवादीगण ने मिलीभगत करके उपरोक्त आराजीयात खसरा नम्बर पुराने 38, 66, 165 मि0 585 जिसके वर्तमान नम्बर खसरा नम्बर 38 के 174, 175, 180 खसरा नम्बर 66 के 170 से 173 खसरा नम्बर 165 मि0 के खसरा नम्बर 329, 585, 978 लगायत 984 अपने नाम दर्ज कराली है जो कि मिलीभगत का परिणाम है सत्यता से कोई संबंध व सरोकार नही है। वादीगण का आज भी उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा चला आ रहा है तथा अपने पूर्वजो के समय सही कब्जा काश्त है जिसमें प्रतिवादीगण को कोई बाधा कारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। जिसको कि वादीगण अपने नाम दुरूस्त कराकर नामान्तकरण खुलवाने के लिए स्वतंत्र है।

4. दिनांक 20.05.2012 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 23 कुछ लोगो को भूमि पर लेकर आये तथा वादीगण की उपरोक्त वर्णित आराजीयात दिखाने लगे तथा कहने लगे उपरोक्त आराजीयात बिकाउ है जिसका मोल भाव भी करने लगे जिसकी सूचना वादीगण को होने पर वादीगण ने आपत्ति की तो प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि वे उक्त आराजीयात दिगर व्यक्ति को बेचकर ही रहेगे। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि उक्त आराजीयात तो पूर्वजों के समय से ही वादीगण की है प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जमाबंदी दिखायी ओर कहा कि उसमें प्रतिवादीगण का नाम दर्ज हैं। जिसकी जानकारी वादीगण को नही थी तथा वादीगण ने सूचना संबंधी दस्तावेज पटवारी हल्का से निकलवाये तो पता चला कि उक्त खसरा नम्बरान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गये है। जबकि वादीगण ने अथवा वादीगण के पूवर्जो द्वारा किसी भी रूप में उपरोक्त आराजीयात का बेचान हस्तांतरण गिरवी, रहन आदि किसी भी रूप में प्रतिवादीगण का उनके पूर्वजो का नही किया गया है ना ही राजस्व रिकार्ड में ऐसा कोई अंकन है। बल्कि प्रतिवादीगण द्वारा मिलीभगत करके वादीगण के उक्त खसरा नम्बरान की आराजीयात को अपने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपने नाम दर्ज करा लिया है जिसको वादीगण अपने नाम घोषित कराकर दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

5. प्रतिवादीगण ने वादीगण को यह भी धमकी दी कि वे मौका पाकर वादीगण को उपरोक्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे ओर कब्जा ले लेंगे तथा अन्य को हस्तांतरित कर प्लाट कर देंगे। जिससे वादीगण के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गयी है कि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्यों व मनसूबो में कामयाब नही नही हो जावे। इसलिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की उपरोक्त आराजीयात को किसी भी रूप में बेचान नही करे, हस्तांतरण नही करे, गैरकानूनी रूप से बेदखल नही करे, हस्तांतरण नही करे, गैर कानूनी रूप से बेदखल नही करें, ना ही किसी तरह का कोई निर्माण [illegible] करावें। ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें ना ही [illegible] सर्वेन्ट, परिवारजन, रिश्तेदार से करावे इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

फरमावे। तथा प्रतिवादी सख्या 24 व 25 को इस आशय से पाबन्द फरमावे कि वो बिना वादीगण की सहमति के उपरोक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में किसी तरह की हेर फेर, अमल दरामद, रदोबदल आदि नही करे तथा राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

6. वाद कारण दिनांक 20.05.2012 को जब प्रतिवादीगण ने वादीगण की भूमि आकर अन्य मिलने वाले लोगो को जमीन बेचने हेतु दिखाने लगे वादीगण ने एतराज किया जिससे वाद कारण उक्त दिनांक को उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

7. प्रतिवादी संख्या 24 व 25 राज्य सरकार तहसीलदार है जिसे कि धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है। लेकिन वादीगण का वाद अत्याधिक आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 24 व 25 को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया जा सका है। इसलिये धारा 80 सी0पी0सी0 नोटिस दिये जाने में छूट प्रदान किये जाने बाबत अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से फरमाया जावे कि :–

1. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा की आराजीयात वाके ग्राम आनंदरामपुरा पटवार हल्का हिंगोनिया तहसील चाकसू जिला जयपुर (राजस्थान) खसरा नम्बर 38 के खसरा नम्बर 24

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 174 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.27 है0 बने जो कि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है पुराने खसरा नम्बर 66 के नये नम्बर 23 बने जो वर्तमान में खसरा नम्बर 170 रकबा 0.32 है0 खसरा नं0 171 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 173 रकबा 0.13 है0 जो कि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 23 के नाम दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 165 मि0 के नये खसरा नम्बर 59 बने जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 329 रकबा 0.59 है0, जो कि प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 585 जिसके नये नम्बर 207 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 978 978 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 979 रकबा 0.45 है0 खसरा नम्बर 980 रकबा 0.24 हे0, खसरा नम्बर 981 रकबा 0.45 है0 खसरा नम्बर 982 रकबा 0.27 है0 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.37 है0 जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज है। जिसमें से वादीगण 4 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि को वादी संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 2/3 व वादी संख्या 5 लगायत 8 हिस्सा 1/3 को वादीगण के नाम घोषित किया जाकर वादीगण के नाम दुरूस्ती इन्द्राज करते हुए नाम दर्ज किया जावे।

2. प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो उपरोक्त वर्णित आराजियात या उसके किसी हिस्से को किसी को भी बेचान हस्तान्तरण नहीं करे, ना ही खुर्द बुर्द करें तथा ना ही वादीगण को उनके कब्जे से बेदखल करे ऐसा ना तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना अपने ऐजेन्ट, सर्वेंट ईष्ट मित्र नोकर चाकर परिवारजन या रिश्तेदार आदि से करावे ना ही प्रेरित करें, तथा प्रतिवादी संख्या 24 व 26 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करे।

3. प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के उपयोग उपभोग, आन जान, रहन सहन आदि में किसी प्रकार की बाधा कारित ना तो स्वयं करे, ना ही अपने किसी परिवारजन रिश्तेदार ऐजेन्ट सर्वेंट से करावे ना ही प्रेरित करे।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तो हाजीर अदालत होकर दावे का जवाब दावा पेश किया गया तो इस प्रकार पेश किया गया कि :–

1. वाद पत्र का मद नं0 1 पूर्णतया गलत है स्वीकार नही है संवत 2017–20 तक वादीगण के पूर्वजों का नाम हो सकता है यह तथ्य रिकार्ड का विषय है संवत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही हुई थी जिसमें गांव की समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार पुनः अलॉट किया गया था जो भूमि की किस्म को आधार बनाकर उनकी कीमत तय कर बराबर कीमत की जमीन दी गई थी इसी प्रकार वादीगण की भी कुल 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 2.39 है0 अर्थात करीब 9 बीघा 11 बिस्वा जमीन दी गई है इस प्रकारा वादीगण की जमीन भूमि एकीकरण विभाग द्वारा कम नही की गई बल्कि करीब 6 बिस्वा जमीन वादीगण के ज्यादा दी गई है वादीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 260, 261, 463, से 468 470, 471, 485, 499, 703, 923, से 928 कुल किता 20 रकबा 2.39 है0 भूमि आज भी वादीगण के नाम है जहां वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा सरकार को इन नये नम्बरों का लगान अदा करते आ रहे है।

वादीगण ने इस मद में पुराने नम्बरों को नये नम्बरों से मिलान किया है जिसमे कई नम्बर काफी नम्बरों से मिलकर बने हुये है वादीगण ने सारे नये नम्बरों को वादग्रस्त बना दिया जो कि कानूनी रूप से गलत है जैसे की वादीगण द्वारा बताया गया खसरा नम्बर 38 का रकबा 5 बिस्वा था जिसके नये नम्बर 24 बने थे इस नये नम्बर 24 का रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा थ तथा यह खसरा नम्बर 24 अकेले पुराने 38 से नही बना था बल्कि यह 38 के अलावा 36, 37, 39, 59, 4, 66, 67 से मिलकर बना था वादीगण ने पूरे खसरा नम्बर 24 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा को आधार बनाकर उसके बनने वाले नये नम्बर 174, 176, 180 पर दावा पेश कर दिया जबकि वादीगण का मूल नम्बर 38 केवल 5 बिस्वा का था ऐसे में वादीगण ने बिना देखे बिना जांचे मनमर्जी से नम्बर लिख दिये है जैसे की खसरा नम्बर 24 से बनने वाले नये नंबर केवल 174, 178 व 180 ही नही थे बल्कि खसरा नम्बर 24 से खसरा नम्बर 177, 178, 179 आदि भी बने है वादीगण ने किस आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

खसरा नम्बर 177, 178, 179 को छोडा है। पूरे दावे में वादीगण ने कही भी स्पष्ट नही किया है कि वादीग्रस्त आराजी से उसका संबंध केसे व किस आधार पर है खसरा नम्बर 38 के अलावा पुराने खसरा नम्बर 66, 165, 585 से संबंध में इसी प्रकार की स्थिति है इसे बनने वाले नम्बर भी कई नम्बरों से मिलकर बने है तथा उनका रकबा भी काफी बडा है जैसे वादीगण का 66 नम्बर का रकबा 2 बिस्वा 8 था जिसके नये नम्बर 23 बने है जिसका रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा बना था तथा वह अकेले 66 से नही बनकर 62, 63, 59, 69, 55, 56 से मिलकर बने है 23 के नये नम्बर 170, 171, 172, 173 पर किया है तथा 172 को छोडा है इसका भी आधार नही बताया गया है इसी प्रकार की स्थिति खसरा नम्बर 165 व 585 की है इस प्रकार पूरे विवरण से स्पष्ट है कि वादी ने गलत तरीके से दावा पेश किया है क्योंकि प्रथम तो वादीगण को जमीन के बदले में ज्यादा जमीन मिल चुकी है द्वितीय उसने 4 बीघा 17 बिस्वा के स्थान पर करीब 20 बीघा भूमि पर दावा पेश कर दिया है तो पूर्णतया गलत है।

2. वाद पत्र का मद नंबर 2 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही है।

3. वाद पत्र का मद नंबर 3 गलत है स्वीकार नही है वादीगण के पूर्वजो को भूमि एकीकरण विभाग द्वारा चकीकरण में बदले में जमीन दे दी थी जिस पर वादीगण व उसके पूर्वज काबिज काश्त चले आ रहे है जिसके खसरा नम्बर 260, 261, 463 से 468, 470, 471, 473, 485, 499, 703, 923 से 928 कुल किता 20 कुल रकबा 2.39

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

है0 है वादग्रस्त आराजी नम्बरों पर वादीगण का कब्जा काश्त नही है बल्कि एकीकरण के समय से प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है जिसे आज करीब 50 वर्ष पूरे होने को है।

4. वाद पत्र का मद नं0 4 गलत है स्वीकार नही है वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है वादीगण का इस आराजी से वर्तमान में कोई संबंध नही है सारी कार्यवाही भूमि एकीकरण विभाग द्वारा की गई है तथा कानूनन एकीकरण कार्यवाही को चेलेंज नही किया जा सकता है।

5. वाद पत्र का मद नं0 5 गलत है स्वीकार नही है ना तो वादीगण का कब्जा काश्त है ना ही दिनांक 20.05.2012 की कोई घटना ही घटित हुई समस्त तथ्य मिथ्या लिखे है।

6. वाद पत्र का मद नं0 6 गलत है स्वीकार नही है वादीगण किसी भी प्रकार की घोषणा का स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

7. वाद पत्र का मद नं0 7 गलत है स्वीकार नही है दिनांक 20.05. 2012 या किसी भी अन्य दिनांक की वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

8. वाद पत्र का मद नं0 8 से 11 कानूनी है जवाब आवश्यक नही है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

9. वाद पत्र का अनुतोष मद गलत है स्वीकार नही है इस मद के उप मद 1, 2, 3, 4, 5, में चाहे गये अनुतोष को वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर जवाब दावे की प्रति वकील वादी को दी गयी तो वादी वकील ने जवाब दावे का जवाब कुल जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि :–

1. प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के मद नं0 1 में वर्णित किया है कि वादीगण की कुल 9 बीघा 05 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 2.39 है0 जमीन दी गई, जिसके खसरा नम्बर 260, 261, 463, से 468, 470, 471, 485, 499, 703, 923, से 928 कुल किता 20 कुल रकबा 2.39 है0 है गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि उक्त जमीन वादीगण को अपनी वादग्रस्त जमीन जो वाद पत्र के पैरा नं0 1 में वर्णित के बदले में नही दी गई बल्कि उक्त जमीन वादीगण के पूर्वजो का जो अलग खाता संख्या 67 संवत 2017 से 2020 का जिसके खसरा नम्बर 111, 227, 335, 339, 410, 419, 420, 599, 147, 389, 298, 392, 514 व 563 कुल रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा के बदले दी गई थी जिसके एकीकरण के बाद खसरा नम्बर 46, 135, 126, 139, 146, व 217 बने तथा वर्तमान नं0 260, 261, 463 से 468, 470, 471, 485, 499, 703,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

923 से 928 रकबा 2.39 है0 है इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा यह अंकित करना की वाद प. के मद नं0 1 में वर्णित जमीन वादीगण को मिल गई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि वादीगण को उक्त जमीन अपने उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान के बदले मिली थी तथा जो वाद प. के पैरा नम्बर 1 में वर्णित जमीन प्रतिवादीगण के नाम लग गई जिसके लिए उक्त दावा पेश किया गया है।

2. प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के मद नं0 01 में ही वर्णित किया कि वादीगण ने सारे नंबरों को वादग्रस्त बना दिया जो कानूनी रूप से गलत है जैसे कि वादीगण द्वारा बताया गया खसरा नम्बर 38 का रकबा 5 बिस्वा था जिसके नये नम्बर 24 बने थे इस नये नंबर 24 का रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा थ तथा खसरा नम्बर 24 अकेले पुराने 38 से नही बना बल्कि 38 के अलावा अन्य खसरा नम्बरो से मिलकर बना है। वादीगण ने पूरे खसरा नम्बर 24 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा को आधार बनाकर उसके बनने वाले नये नम्बर 174, 180, 176 पर दावा पेश कर दिया जबकि वादीगण का मूल नंबर 38 केवल 5 बिस्वा का था इस प्रकार प्रतिवादी ने अपने जवाब में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है। जिसका जवाब इस प्रकार है कि वादीगण ने खसरा नम्बर 24 के खसरा नम्बरान 174, 176, 180 पर ही दावा इसलिये पेश किया है कि वादीगण की पुराने खसरा नम्बर 38 से 24 बने 24 से जो 180 नंबर बना है उक्त ही वादीगण की खातेदारी में से बना है जो प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 के नाम लगा [illegible] जो विवादित नंबर बने उनको ही वादीगण ने अपने वाद पत्र में दर्शाया है तथा वादीगण ने सारे खसरा नम्बरान व दोनो एकीकरणों में एक दुसरे से बने खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नम्बरान का वर्णन अपने वाद पत्र में किया है जिसक वाद पत्र में एकीकरण के द्वारा बने नंबरों का खुलासा हो जावे तथा खसरा नम्बर 66 जो संवत 2017 से 2020 का है जिसका रकाब 2 बीघा 03 बिस्वा है जिसके एकीकरण के बाद 23 नंबर बने तथा 23 से वर्तमान में 170 से 173, 181, 184, 185 बने जो प्रतिवादीगण नं0 8 से 13 के नाम है लेकिन उक्त में वादीगण के उक्त खसरा नम्बर 66 का 2 बीघा 03 बिस्वा का वर्तमान नंबर 181 बना उक्त 181 पर ही वादीगण काबिज है तथा उक्त ही वादीगण का है तथा इसी प्रकार वादीगण के खसरा नम्बर 165 रकबा 13 बिस्वा जिसके खसरा नम्बर 59 बने और 59 से 329 उक्त ही विवादित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 59 बने और 59 से 329 उक्त विवादित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 585 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसके नंबर 207 बने तथा उक्त के वर्तमान 978 से 984 बने लेकिन वादीगण के हिस्से की जमीन के नंबर 980 व 981 बने जो प्रतिवादीगण संख्या 1 स 4 के नाम है। उक्त के लिये ही वादीगण ने दावा पेश किया है तथा इस प्रकार वादीगण को अपनी जमीन खसरा नम्बर 180, 181, 329, 980, 981 में से दी जावे उक्त नंबर ही वादीगण के पूर्व खसा नंबरों के बने है और उन्हीं पर वादीगण कब्जा काश्त रहा है तथा काबिज है।

वादीगण की ओर से जवाब उल जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण के हक में वाद डिक्री करने की कृपा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

दावे का जवाब उल जवाब पेश होने पर जवाब सरकार इस प्रकार पेश हुआ कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम आनन्दपुरा सम्वत 2021–24 के अनुसार खसरा नम्बर 38, 66, 165 मि 381, 387, 391, 585 किता 7 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा काना, रामनारायण, जयनारायण पिता लक्ष्मीनारायण जाति बागडा के नाम दर्ज रिकार्ड थी होना स्वीकार है। शेष बिन्दु संख्या 1 अस्वीकार, बिन्दु संख्या 2, 3, 4, 5, 6 स्वयं वादी सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 8 विधिक प्रकिया सम्बन्धित बिन्दु निहित होने से टिप्पणी आवश्यक नही है। एकीकरण प्रकिया के दौरान समस्त कार्यवाही नियमानुसार मजमेआम से वादीण्गा एवं इनके पूर्वजों को सूचित करते हुए कि गई होगी, अब उक्त कार्यवाही को आज गलत ठहराते हुए अनुतोष चाहना स्वीकार नही है।

दावा, जवाब दावा व जवाब उक्त जवाब एवं जवाब सरकार अनुसार निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी।

1. आया वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 180, 181, 329, 980, 981 वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसके खातेदारी अधिकारी वादीगण में निहित है।

––वादीगण––

2. आया वादीगण अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

––वादीगण––

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

3. आया दौराने एकीकरण वादीगण की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज हो गयी जिसको वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है।

——वादीगण——

4. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

——वादीगण——

5. आया वादीगण को वर्तमान खसरा नम्बर के बदले खसरा नम्बर 260, 261, 463, से 468, 470, 471, 485, 499, 703, 923 से 928 कुल किता 20 कुल रकबा 2.39 हे0 भूमि प्राप्त हो चुकी है इसलिये दावा खारिज किये जाने योग्य है।

——प्रतिवादीगण——

6. आया वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण को एकीकरण की कार्यवाही से प्राप्त हुई है जिस पर एकीकरण के समय से प्रतिवादीगण काबिज है।

——प्रमाण भार प्रतिवादीगण——

7. आया एकीकरण की कार्यवाही को कानूनन चेलेन्ज नही किये जा सकने के आधार पर वादीगण का दावा चलने योग्य नही है।

——प्रमाण भार प्रतिवादीगण——

तनकीयात क[illegible] प्रतिवादीगण की शहादत की गयी तो वादी की [illegible] रामूलाल, मुकेश, के पेश किये जाने व आगे शहादत वादी द्वारा नही कराये जाने पर दिनांक 11.04.17 को बन्द कर शहादत प्रतिवादी ली गयी तो सीताराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

शिवलाल, रामकिशोर के गवाह करवाये जाकर शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर बहस दावा पक्षकार वकील की सुनी गयी।

दौराने बहस वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त पेज नं0 1 में जो दर्ज है उक्त पैरा नं0 1 में दर्ज भूमि मे से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने मिली भगत करके वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि उक्त खसरा नम्बरान में से 4 बीघा 17 बिस्वा अपने नाम लगाली जो गलत लगवायी जिसका वादीगण को खातेदार काश्तकार काश्तकार घोषित करवाया जावे। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का आज भी कब्जा काश्त है। जवाब बहस में प्रतिवादी वकील ने जवाब दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि सम्वत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही हुई थी जिसमें गांव की समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार पुनः आगाह किया गया था व भूमि किस्म को आधार बनाया जाकर उनकी कीमत तय कर बराबर कीमत की जमीन दी गयी थी वादीगण की भी 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन सम्वत 2017 तक थी, जिसके बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 2.39 है0 अर्थात 9 बीघा 11 बिस्वा जमीन दी गई है जहां वादीगण काबिज है। वादीगण ने समस्त नये नम्बरों को वादग्रस्त बना दिया जो गलत है। वादीगण ने 4 बीघा 17 बिस्वा के बदले करीब 20 बीघा भूमि का दावा कर दिया जो गलत है। वादगण के 4 बीघा 17 बिस्वा के बदले करीब 20 बीघा भूमि का दावा कर दिया जो गलत है। समस्त आराजी नम्बरों पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। एकीकरण के समय से प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है। एकीकरण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

कानूनन चेलेंज नही किया जा सकता। न ही वादीगण को कोई वादकरण उत्पन्न हुआ, बिना वादकारण दावा चलने योग्य नही है। अतः दावा वादी सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

वादी की तरफ से दावे के समर्थन में एक्स पी 1 जमाबन्दी 2021–24 एक्स पी 2 भूमि एकीकरण का मिलान क्षेत्रफल एक्स पी 3 मिलान क्षेत्रफल से भू0 प्रबन्ध विभाग, एक्स पी 4 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण एक्स पी 5 भूमि एकीकरण का मिलान क्षेत्रफल, एक्स पी 6 ग्रम आनन्दपुरा की जमाबन्दी संवत 2064 – 64 खाता संख्या 8 एक्स पी 7 जमाबन्दी खाता संख्या 64 एक्स पी 8 जमाबंदी खाता संख्या 4, एक्स पी 13 जमाबन्दी 2017, एक्सपी 14 जमाबन्दी 2071–74, एक्स पी –15 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, एक्सपी 16 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण एक्सपी – 17 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, एक्स पी 20 मिलान क्षेत्रफल भूमि एकीकरण, एक्सपी – 12 जमाबन्दी सं 2037. 40, एक्सपी 21 मिलान क्षेत्रफल भू– प्रबन्ध विभाग, एक्स पी 11 जमाबन्दी 2064–67, एक्सपी – 10 तहसीलदार चाकसू का पत्रांक 5606 दिनांक 30.08.2016 एक्स पी 9 प्रार्थना पत्र जांच रिपोर्ट के क्रम में एक्स पी फर्द मौका प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत एक्स पी 16 जमाबन्दी 2017–20 एक्सपी 4 जमाबंदी संवत 2013–15, एक्सपी 5 जमाबंदी 2021–24 एक्स डी 6, एक्स डी 7 जमाबंदी 2064–67 एक्स डी 10 जमाबंदी 2072–75 के दस्तावेजात वादी व प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादी व प्रतिवादीगण की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं गवाहों का परीक्षण किया गया तो तनकीवार निर्णय नियमानुसार किया गया :–

1. आया वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 180, 181, 329, 980, 981 वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसकी खातेदारी अधिकारी वादीगण में निहित है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जो सम्वत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही जिसमें समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारों को उनके हिस्से अनुसार अलग की गयी थी, वादीगण की 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके बदले में भूमि एकीकरण विभाग द्वारा वादीगण को कुल 2.39 है0 भूमि अर्थात 9 बीघा 11 बिस्वा जमीन दी गयी है। भूमि एकीकरण द्वारा वादीगण की जमीन कम नही की गयी पुराने नम्बरों को नये नम्बरो से जिसमें कई नम्बर काफी नम्बरों से मिलकर बने है, वादीगण ने सारे नये नम्बरों को वादग्रस्त बना दिया, जैसी की खसरा नम्बर 38 के नये नम्बर 24 बने इस नये नम्बर का रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा था ये खसरा नम्बर 24 अकेले पुराने खसरा नम्बर 8 से नही बना बल्कि खसरा नम्बर 38 के अलावा 36, 37, 39, 59, 64, 66, 67से मिलकर बना था वादीगण ने पूरे खसरा नम्बर 24 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा को आधार मानकार उससे बनने वाले नये खसरा नम्बर 176, 174, 180 पर दावा पेश कर दिया जबकि प्रतिवादीगण का मूल नम्बर 38 केवल 5 बिस्वा का था इस प्रकार बिना देखे बिना जांचे वादीगण द्वारा कुल ख0नं0 लिख दिये, इसी प्रकार वादी द्वारा चाहे गये अन्य खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नम्बरान भी इसी प्रकार बने है व उनका रकबा भी काफी बडा है। वादी के गवाह राधामोहन के द्वारा जिरह में दावे के अनुतोष से 4 बीघा 17 बिस्वा के अधिक नम्बर होना स्वीकार किया है खसरा नम्बर 38 का रकबा 5 बिस्वा होना स्वीकार किया है किन्तु खसरा नम्बर 24 को कितना रकबा है ये नही बताया न ही ये बता पाया कि खसरा नम्बर 24 के कितने नम्बर बने है। न ही एकीकरण में प्रतिवादीगण की जमीन कम हुयी या अधिक बता पाया जिरह में` भी कहा कि मेरी जमीन प्रतिवादीगण के नाम लगी है तो मुझे पता नही है खसरा नम्बर 181 पर मेरा कब्जा किस दिशा में है वो मुझे पता नही हैं प्रतिवादीगण अपनी अपनी जमीन पर काबिज है या नही मुझे पता नही। एकीकरण के खिलाफ पूरे गांव वालों में से किसी ने दावा नही किया। रामूलाल ने जिरह में बताया कि कौन से प्रतिवादीगण के कितनी जमीन नाम लगी मुझे पता नही है। गांव में सभी पक्षो का अपनी अपनी जमीन पर कब्जा है कोई लडाई झगडा आपस में नही है। मुकेश ने जिरह में कहा कि दोनो पक्षो के बीच में जमीन को लेकर झगडा नही हुआ। न ही कौनसा नम्बर किस नम्बर से बना व उसका क्या आधार है ये वादी साबित करने में असमर्थ है। क्योंकि जिस जमीन का बाद प्रस्तुत किया गया है वह जमीन प्रतिवादियों को सम्वत 2019 (सन 1961) में सरकार द्वारा एकीकरण ग्राम आनन्दपुरा में हुआ था उसमें प्रतिवादीगण को ये जमीन मिली थी और पिछले 50 वर्षो से प्रतिवादी के नाम चली आ रही है व प्रतिवादियो को एकीकरण में जमीन की किस्म लगान एवं कुल रकबे के आधार पर उतनी ही जमीन मिली है, जितनी जमीन एकीकरण से पूर्व में वादीगण या वादीगण के पूर्वजों के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

थी। वाद एकीकरण के 55 साल बाद प्रस्तुत किया गया है। यदि एकीकरण के पूर्व की जमाबंदी के आधार पर बाद प्रस्तुत किये गये तो एकीकरण का उद्‌देश्य ही समाप्त हो जायेगा। एकीकरण की कार्यवाही को चेलेन्ज नही किया जा सकता । जवाब सरकार में भी अंकित किया गया कि एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान समस्त कार्यवाही नियमानुसार मजमे आम में वादीगण इनके पूर्वजों को सूचित करते हुए की गयी थी अब उक्त कार्यवाही को गलत ठहराते हुए अनुतोष चाहा जो गलत है। इस प्रकार वादी द्वारा चाही गयी अनुतोष साबित नही कर पाया कि कौनसे खसरा नम्बरान से कौनसा खसरा नम्बर बना व सभी खसरा नम्बरान पर रकबे पर दावा कर दिया गया जबकि वादी 4 बीघा 17 बिस्वा जमीन की मांग कर रहा जबकि दावा 20 बीघा भूमि पर पेश किया गया जो गलत पेश किया गया है। इस प्रकार वादी तनकी नम्बर एक को साबित नही कर पाने के कारण प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादीगण अपने निहित खातेदारी अधिकारों की घोषणा करावाने का अधिकारी है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जो तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय किये जाने व एकीकरण के दौरान की गई कार्यवाही को चेलेन्ज नही किये जाने के कारण तनकी नं0 2 वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

3. आया दौराने एकीकरण वादीगण की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज हो गयी जिसको वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है जो वादी द्वारा जिस जमीन पर वाद प्रस्तुत किया गया है वह जमीन प्रतिवादियों को सम्वत 2019 सन 1961 में सरकार द्वारा एकीकरण के दौरान जमीन की किस्म लगान एवं कुल रकबे के हिसाब से उतनी ही जमीन एकीकरण में मिली है जितनी एकीकरण से पहिले प्रतिवादीयों के या उनके पूर्वजों के नाम थी, प्रतिवादियो को एकीकरण मे ज्यादा जमीन नही मिली जवाब सरकार अनुसार एकीकरण की प्रकिया के दौरान समस्त कार्यवाही नियमानुसार मजमे आम में वादीगण व इनके पूर्वजों को सूचित करते हुए की गयी जिसे उक्त कार्यवाही आज गलत ठहराते हुये अनुतोष चाहाजो स्वीकार नही है। इस प्रकार जवाब सरकार व एकीकरण की कार्यवाही को चुनौती नही दिये जोने के कारण व प्रतिवादियों को अपनी एकीकरण से पूर्व जितनी जमीन थी उतनी ही जमीन मिलने व अधिक भूमि मिलना साबित करने में वादी सफल नही रहने के कारण तनकी नं0 3 प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

4. आया वादीगण प्रवितादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जो तनकी नं0 1 से 3 प्रतिवादी के पक्ष में तय किये जाने से तनकी नं0 4 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

5. आया वादीगण को वर्तमान खसरा नम्बर के बदले खसरा नम्बर 260, 261, 463 से 468, 471, 485, 499, 703, 923 से 928 किता 20 कुल रकबा 2.39 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है, इसलिये दावा खारिज किये जाने योग्य है :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो सम्वत 2020 में चाकसू तहसील में भूमि एकीकरण की कार्यवाही हुयी थी जिस गांव की समस्त भूमियों को एक जगह कर खातेदारों को उनके हिसाब से पुन' अलाट किया गया था जो भूमि किस्म को आधार बनाकर उनकी कीमत तय कर बराबर कीमत की जमीन दी गयी थी इसी प्रकार वादीगण की कुल 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन संवत 2017 तक थी जिसके बदले में 9 बीघा 11 बिस्वा जमीन दी गयी, इस प्रकार वादीगण की जमीन एकीकरण द्वारा कम नही की गयी बल्कि 6 बिस्वा जमीन वादीगण को ज्यादी दी गयी वादीगण के वर्तमान नं0 260, 261, 463 से 468, 470, 471, 485, 499, 703, 923 से 928 किता 20 रकबा 2.39 है जो भूमि वादीगण के नाम आज भी है जिस पर वादीगण काबिज है, जो स्वयं वादीगण ने भी अपने जवाब में उक्त खसरा नम्बरान व रकबा मिलना स्वीकार किया गया है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण द्वारा साबित करने के कारण प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

6. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण के एकीकरण की कार्यवाही से प्राप्त हुयी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज है :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो जिस जमीन पर वाद प्रस्तुत किया गया है वह जमीन प्रतिवादीयों

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

को सम्वत 2019 सन 1961 के दौरान हुये एकीकरण के दौरान मिली थी जो प्रतिवादियों को एकीकरण में जमीन की किस्म लगान व कुल रकबे के हिसाब से उतनी ही जमीन एकीकरण में मिली जितनी उनके पास पहिले प्रतिवादी व प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम थी प्रतिवादियों को एकीकरण में ज्यादा जमीन नही मिली जिस पर प्रतिवादी 50 वर्षो से काश्त कर रहे है व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है एकीकरण के 55 साल बाद वाद प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नही है यदि एकीकरण के पूर्व की जमाबन्दी के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया तो एकीकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा इस प्रकार के वाद एकीकरण के समय ही प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे। वादी व प्रतिवादी एवं ग्राम आनन्दपुरा के सभी काश्तकार एकीकरण के रिकार्ड के अनुसार अपनी अपनी जमीन पर कबिज होकर काश्त कर रहे। वादीगण द्वारा इस तनकी के संबंध में न ही बता सके कि एकीकरण द्वारा की गयी कार्यवाही गलत की गयी है, इस प्रकार उक्त तनकी नं0 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

7. आया एकीकरण की कार्यवाही को कानूनन चेलेंज नही किये जा सकने के आधार पर वादीगण का दावा चलने योगय नही है इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जो वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है वादीगण का इस आराजी से वर्तमान में कोई सम्बन्ध नहीं है तथा कार्यवाही भूमि एकीकरण विभाग द्वारा की गई है तथा कानूनन एकीकरण कार्यवाही को चेलेन्ज नही किया जा सकता है । इस बाबत प्रतिवादी द्वारा 1970

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

आरएडी पृष्ट 59 सी नजीर पेश की गयी तो उक्त वाद पर भली भांति चस्पा होती है। इस प्रकार तनकी संख्या 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

इस प्रकार तनकी नं 1 से 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने व प्रस्तुत दस्तावेजात व दावा जवाब दावा एवं एकीकरण के दौराने की गयी कार्यवाही को चेलेन्ज नही किया जा सकने के आधार पर व वादीगण द्वारा साबित नही कर पाने से दावा वादी खरिज किये कारण जाने योग्य होने से दावा वादी खारीज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.12 17:37:33 IST
Reason: SelfAttested